न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 8/2017/डिक्री

भेरूलाल उर्फ भेरूसिंह आत्मज भगवान रावत मीणा
निवासी डेलवास हाल मुकाम से.न. 3 सुखाडिया नगर, म0न0 27
उदयपुर जिला उदयपुर

–अपीलान्ट

बनाम

बाबरू पिता नाथुजी रावत मीणा
निवासी डेलवास तहसील डूंगला

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर, बडीसादडी
दिनांक 14.10.1988 प्रकरण सं. 136/1988

उपस्थित – 1. श्री सत्यनारायण ईनाणी – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री इसरार अहमद खान – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1

निर्णय दिनांक– 07.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता नाथुजी रावत मीणा के विरूद्ध धारा 88 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जो डिक्री किया गया, उस डिक्री एवं निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत है।

2. रेस्पोडेन्ट वादी के पिता के सगे भाई होकर वादी के काका है, जिन्होने धोखे से तथ्यो को छिपा कर रेकार्ड अपने नाम करवा लिया है, जबकि भूमि पर आज तक हमारा शामलाती कब्जा है। वादी के पिता भगवानजी का फरवरी 92 मे स्वर्गवास हो गया और वादी इनका एक मात्र पुत्र होकर उत्तराधिकारी है और जमीन पर बराबर काबित है और यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। वादी के पिता को कोई सम्मन तामील नही हुआ न ही इस प्रकरण की कोई जानकारी नही दी। वादी के पिता द्वारा

अपना हक व हिस्सा हीरा, भोलीराम व बाबरू को विक्रय करने का कोई प्रमाण रेकार्ड पर नही होते हुए भी एक्जीबिट संख्या 1 नकल जमाबन्दी के आधार पर दावा डिक्री किया जो आधारहीन है। निर्णय दिनांक 14/10/1988 को होना बताया है जिसकी वादी को कोई सूचना व जानकारी नही थी। क्योकि वादी व रेस्पोडेन्ट बराबर हिस्से अनुसार आज भी काबिज चले आ रहे है। दिनांक 14/10/1988 से दिनांक 27/12/2016 तक का समय जानकारी के अभाव मे कन्डोन किये जाने योग्य है जिसके लिये धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलय की डिक्री एवं निर्णय दिनांक 14/10/1988 निरस्त फरमाई जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का न तो सम्मन जारी किया गया तथा न ही अपीलान्ट को प्राप्त ही हुआ है। निर्णय मे प्रदर्श–1 के अनुसार खातेदारी देना का उल्लेख है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसा कोई प्रदर्श उपलब्ध ही नही है। इसी प्रकार निर्णय मे गवाहान पीडब्ल्यु–1 तथा पीडब्ल्यु –2 के साक्ष्य का उल्लेख है जबकि ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली मे उपलब्ध ही नही है तथा न ही कोई साक्ष्य हुई है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाये बिना किया गया निर्णय अपास्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय से अपूर्ण पत्रावली प्राप्त हुई है जबकि निर्णय के समय सम्पूर्ण रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध था। ऐसी सूरत मे निर्णय पारित करने मे किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली मे न तो प्रदर्श उपलब्ध है तथा न ही किसी प्रकार की साक्ष्य का दस्तावेज ही संलग्न है। जैसा कि निर्णय मे उल्लेखित है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बिना रिकार्ड के पारित किया जाना पाया जाता है जिसके कारण

उक्त निर्णय अपास्त होने योग्य है। फलत अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, बडीसादडी द्वारा प्रकरण 136/1988 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14/10/1988 अपास्त की जाकर उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः निर्णित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़